

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्रीमती जमना देवी पत्नि श्री कानाराम
जाति मेघवाल
निवासी मण्डवारिया रामदेव कॉलोनी मण्डवारिया
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.22 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
04.03.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 22.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा दिनांक 18.11.2020 को रजिस्टर्ड एडी द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त पत्र पर की गई समस्त कार्यवाई की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 22.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा दिनांक 18.11.2020 को रजिस्टर्ड एडी द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त पत्र पर की गई समस्त कार्यवाई की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा अपीलांत जमनादेवी को जरिये पत्र क्रमांक 61 दिनांक 19.01.2021 को यह सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण जिला न्यायालय एवं सेशन न्यायालय सिरौही में जमनादेवी बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व अन्य, मुकदमा संख्या 06/2020 में प्रक्रियाधीन है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही